रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

**REGISTERED NO. D. (D.N.) 127**

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

## असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 1990/पौष 12, 1911

**No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 1990/PAUSA 12, 1911**

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके**

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1990

सा. का. नि. 4(अ) :– खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम, की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1989 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 29 के खंड (ड) में "पापड़, सागों, या सादा दाल बीजी" शब्दों के स्थान पर "पापड़ (सागों या सादा), दाल बीजी" शब्द रखे जाएंगे।

3 नियम 42 में,—

(क) उपनियम (ख) में–

(1) खंड (i) के उपखंड (क), (ख) और (ड) में, उनके अधीन की घोषणाओं में "लिटर दूध" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "लिटर टोंड दूध" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (ii) में, "इन नियमों के अधीन" शब्दों से आरंभ होने वाले और 8.5 प्रतिशत मिल्क सालिड्स है" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

(ख) खंड (iii) में, "तनुकरण अनुदेशों में' ताजे दूध" शब्दों के स्थान पर "टोंड दूध" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 44ख के—

(i) उपनियम (1) में, "उस घी का, जिसमें उससे कम राइकर्ट मान है और जो 40' सें. पर बुटाइरे रिफ्रेक्टोमीटर पठन के लिए भिन्न मानक का है" शब्दों और अंकों के स्थान पर" उस घी का, जिसमें उससे कम राइकर्ट मान है और जो 40'सें. पर बुटाइरे रिफ्रेक्टोमीटर पठन के लिए उससे भिन्न मानक का है, और (बटर आयल जिसका राइकार्ट मान कम है" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "घी" शब्द जहां कहीं भी वह आता है, के स्थान पर "घी या बटर आयल" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 55 में, सारणी में मद 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

| | |
|---|---|
| 36. पनीर या छैना | सॉर्बिक अम्ल और उसके सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम लवण (सॉर्बिक अम्ल के रूप में संगणित) 1000<br>या<br>प्रोपिओनिक अम्ल और उसके सोडियम या पोटेशियम लवण प्रोपिओनिक अम्ल के रूप में संगणित) 1000" |

6. उक्त नियमों के परिशिष्ट "ख' में,—

(क) मद क 11.01.03 के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"क. 11-01-03– रोगाणुनाशन– 'रोगाणनुनाशन' पद का प्रयोग जब दूध के साथ किया जाता है, तो इससे ऐसा दूध अभिप्रेत है जो 115° से. ग्रे. के तापमान पर निरंतर 15 मिनट तक या 145° सें. ग्रे. के तापमान पर निरंतर 3 सेकेंड तक या समतुल्य अनुमोदित तापमान समय संयोजन तक गर्म किया जाता है जिससे कि विनिर्माण की तारीख से कम से कम 15 दिन की अवधि तक इसका कक्ष तापमान पर परिरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। रोगाणुनाशित दूध का विक्रय या तो ऐसे मुहरबंद आधानों में किया जाएगा जिसमें दूध रोगाणुनाशित किया गया था और ऐसी दशा में आविलता परीक्षण नकारात्मक होगा, या दुर्गंधरहित दशाओं में रोगाणु-रहित आधानों में किया जाएगा।

(ख) मद क. 11.0205 के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

इसमें एकल रूप में या संयोजन में 1000 मि.ग्रा./कि. ग्रा. से अनधिक सॉर्बिक अम्ल, प्रोपिओनिक अम्ल या उनके सोडियम या कलिशयम लवण हो सकते हैं। लैक्टिक अम्ल के रूप में अभिव्यक्त अनुमाप्य अम्लता 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मानक प्लेट काउंटर 5×105 से अधिक नहीं होगा।

टिप्पण– जब पनीर का विक्रय, वर्ग के बारे में किसी उपदर्शन के बिना किया जाता है तब पनीर के मानक लागू होंगे।"

(ग) मद क. 11.02.06 का लोप किया जाएगा।

(घ) मद क. 11.02.07.01 के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"क. 11.02.07.02– संसाधित चीज स्प्रेड से अनुज्ञात पायसीकारकों अर्थात साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सोडियम या पोटेशियम साइट्रेट, सोडियम लवण ओर्थोफास्फोरिक अम्ल और पोलिफास्फोरिक अम्ल (रैखिक फास्फेट के रूप में) के साथ एक या अधिक प्रकार के पनीर को गर्म करके जिसका स्तर 4.0 प्रतिशत (निर्जल) से अधिक नहीं होगा गंभीरी लास्टिक द्रव्यमान में संचूर्णित, मिश्रित और पिघलकर अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है परन्तु यह कि निर्जल अकार्बनिक कारक का अंश किसी भी दशा में परिष्कृत उत्पाद के 3.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसमें परिष्कृत उत्पाद के 0.08 प्रतिशत से अनधिक के स्तर पर अनुज्ञात पायसीकारक और स्थायीकारक भी हो सकेंगे। इसमें अम्लीकरण कारक अर्थात सिरका, लेक्टिक अम्ल, ऐसीटिक अम्ल साइट्रिक अम्ल और फास्फारिक अम्ल दूध ठोस, वनस्पति रंजक पदार्थ उदाहरणार्थ अन्नाटों, करांटिन, गर्म मसाले और वासक तथा अनुज्ञात सुरुचिकारक हो सकते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइट और कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है जो भार के आधार पर 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। संसाधित चीज स्प्रेड में 0.1 प्रति सॉर्बिक अम्ल या इसके सोडियम और पोटेशियम या कैल्शियम लवण (सॉर्बिक अम्ल के रूप में संगणित) या 0.1 प्रतिशत नाइसिन एकल रूप में या संयोजन में हो सकेगा।

इसमें 60 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होगी और दुग्धवसा का अंश शुष्क पदार्थ के 40 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(ङ) मद क. 11.02.14 और मद क. 11.02.18 के उपान्तिम पैरा में समुद्रित आधानों में पैक किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर" समुद्रित आधानों में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के मिश्रण और कार्बन डाइआक्साइड में पैक किया जाएगा" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।

(च) मद क. 11.02.19 के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"यह विकृत गंधित से मुक्त होगा।"

(छ) मद क. 11.02.21 और उसकी सारणी के पश्चात निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

"क. 11.02.21.01: बटर आयल या मक्खनिया वसा वे उत्पाद हैं जो अनन्यतः मक्खन या क्रीम से प्राप्त किए गए हों और व्यावहारिक रूप से संपूर्ण जल और अवसीय पिंड अन्तर्वस्तु को हटा देने के परिणामस्वरूप प्राप्त हों।

इसमें उस गैलेट को छोड़कर जो 0.01 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, प्रति आक्सीकारक हो सकता है, जो 0.02 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह मद क. 11.02.21 में अधिकथित घी की क्वालिटी के मानकों के अनुरूप होगा सिवाय बीआर पठ्यांक के जो 40' सें. ग्रे. पर 40.0–43.0 होगा। आयातित बटर आयल की दशा में आर. एम. मूल्य 24 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

क. 11.02.21—चक्का, पारश्रीकृत अथवा उबले हुए गाय, भैंस के मखनिया प्राकृतिक रूप में या अन्यथा पुनःसंयोजित दूध से, अनिष्टशून्य लैक्टिक अम्ल या जीवाणु संवर्धन द्वारा अम्लीकरण से तथा उसमें से छैने का पानी निकालकर प्राप्त अर्द्ध-ठोस उत्पाद हैं।

यह वसा के किसी चिन्ह या मल अवलवण या दोनों तथा फफूंदी से मुक्त होगा यह सामग्री श्वेत से हल्के पीले रंग की होगी और निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगी, अर्थात :—

| | चक्का | मखनिया दूध चक्का |
|---|---|---|
| (1) कुल ठोस, द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | कम से कम 30 | कम से कम 20 |
| (2) दुग्ध वसा (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के अनुसार प्रकाशित | कम से कम 33 | अधिकतम 5 |
| (3) दुग्ध प्रोटीन (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | कम से कम 37 | कम से कम 60 |
| (4) अनुमाप्य अम्लता (लैक्टिक अम्ल के रूप में) द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | अधिकतम 2.5 | अधिकतम 2.5 |
| (5) कुल भस्म (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | अधिकतम 3.5 | अधिकतम 5.0 |
| (6) कालिफार्म, 0.1 ग्राम में | नहीं होना चाहिए | नहीं होना चाहिए |
| (7) खमीर और फफूंदी, प्रतिग्राम काउंट | अधिकतम 20 | अधिकतम 20 |

यह अपमिश्रकों, परिरक्षकों और दूध से बाहरी किसी पदार्थ से मुक्त होगा। चक्का जब बिना किसी उपदर्शन के विक्रय किया जाता है तो वह चक्का के मानकों के अनुरूप होगा।

"क. 11.01.21.01— श्रीखंड से अभिप्रेत है ऐसा उत्पाद जो चक्का या मखनिया दूध चक्का, जिसमें दुग्ध वसा मिलाया गया हो, से अभिप्रात किया गया हो। इसमें कृत्रिम रंजक पदार्थ या दूध से बाहरी कोई पदार्थ नहीं होगा। इसमें चीनी और मसाले हो सकते हैं। यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात :—

| | |
|---|---|
| (1) कुल ठोस, द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | 58 से अन्यून |
| (2) दुग्ध वसा (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | 8.5 से अन्यून |
| (3) दुग्ध प्रोटीन (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | 10.5 से अन्यून |
| (4) अनुमाप्य अम्लता (लैक्टिक अम्ल के रूप में) द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | 1.4 से अनधिक |
| (5) चीनी (सुक्रोज) (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान अनुसार प्रतिशत | 72.5 से अनधिक |
| (6) कुल भस्म (शुष्क आधार पर) द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत | 0.9 से अधिक" |
| (7) कॉलिफार्म, 0.1 ग्राम उत्पाद में | नहीं होगा |
| (8) खमीर और फफूंदी, प्रति ग्राम काउंट | 50 से अनधिक |

[सं. पी. 15014/2/89—पी. एन. (एफ. एंड एन.)]
श्रीमती विनीता राय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 प्रथम बार भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3 में का.नि.आ. 2106, तारीख 12-9-55 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :-

1. का.नि.आ. 1202 दिनांक 26-5-56
2. का.नि.आ. 1687 दिनांक 28-7-56
3. का.नि.आ. 2213 दिनांक 28-9-56 (असाधारण)
4. का.नि.आ. 2755 दिनांक 24-11-56

उनमें किए गए और संशोधन भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड, 3उपखण्ड (1) में इस प्रकार प्रकाशित किए गए थे :—

5. सा.का.नि. 514 दिनांक 28-6-58
6. सा.का.नि. 1211 दिनांक 20-12-58
7. सा.का.नि. 425 दिनांक 4-4-60
8. सा.का.नि. 169 दिनांक 11-2-61
9. सा.का.नि. 1134 दिनांक 16-9-61
10. सा.का.नि. 1340 दिनांक 4-11-61
11. सा.का.नि. 1564 दिनांक 24-11-62
12. सा.का.नि. 1589 दिनांक 22-10-64
13. सा.का.नि. 1814 दिनांक 11-12-65
14. सा.का.नि. 74 दिनांक 8-1-66
15. सा.का.नि. 382 दिनांक 19-3-66
16. सा.का.नि. 1256 दिनांक 26-8-67
17. सा.का.नि. 1533 दिनांक 21-8-68
18. सा.का.नि. 2163 दिनांक 14-12-68 (शुद्धिपत्र)
19. सा.का.नि. 532 दिनांक 8-3-69
20. सा.का.नि. 1764 दिनांक 26-7-69 (शुद्धिपत्र)
21. सा.का.नि. 2068 दिनांक 30-8-69
22. सा.का.नि. 1808 दिनांक 24-10-70
23. सा.का.नि. 938 दिनांक 12-6-71
24. सा.का.नि. 992 दिनांक 3-7-71
25. सा.का.नि. 553 दिनांक 6-5-72
26. सा.का.नि. 436 (अ) दिनांक 10-10-72
27. सा.का.नि. 133 दिनांक 10-2-73
28. सा.का.नि. 205 दिनांक 23-2-74
29. सा.का.नि. 850 दिनांक 12-7-75
30. सा.का.नि. 508(अ) दिनांक 27-9-75
31. सा.का.नि. 63 (अ) दिनांक 5-2-76
32. सा.का.नि. 754 दिनांक 29-5-76
33. सा.का.नि. 856 दिनांक 12-6-76
34. सा.का.नि. 1417 दिनांक 2-10-76
35. सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 4-1-77
36. सा.का.नि. 18 (अ) दिनांक 15-1-77
37. सा.का.नि. 651 (अ) दिनांक 20-10-77
38. सा.का.नि. 732 (अ) दिनांक 5-12-77
39. सा.का.नि. 775(अ) दिनांक 27-12-77
40. सा.का.नि. 36 (अ) दिनांक 21-1-78
41. सा.का.नि. 70 (अ) दिनांक 8-2-78

42. सा.का.नि. 238 (अ) दिनांक 20-4-78
43. सा.का.नि. 393 (अ) दिनांक 4-8-78
44. सा.का.नि. 590 (अ) दिनांक 23-12-78
45. सा.का.नि. 55(अ) दिनांक 31-1-79
46. सा.का.नि. 142 (अ) दिनांक 16-3-79 (शुद्धिपत्र)
47. सा.का.नि. 231 (अ) दिनांक 6-4-79
48. सा.का.नि. 423 दिनांक 30-6-79 (शुद्धिपत्र)
49. सा.का.नि. 1043 दिनांक 11-8-79 (शुद्धिपत्र)
50. सा.का.नि. 1210 दिनांक 29-9-79 (शुद्धिपत्र)
51. सा.का.नि. 19 (अ) दिनांक 28-1-80
52. सा.का.नि. 243 दिनांक 1-3-80
53. सा.का.नि. 244 दिनांक 1-3-80
54. सा.का.नि. 996 दिनांक 8-9-80 (शुद्धिपत्र)
55. सा.का.नि. 579 (अ) दिनांक 13-10-80
56. सा.का.नि. 652 (अ) दिनांक 14-11-80
57. सा.का.नि. 710(अ) दिनांक 22-12-80
58. सा.का.नि. 23(अ) दिनांक 16-1-80
59. सा.का.नि. 205 (अ) दिनांक 25-3-81 (शुद्धिपत्र)
60. सा.का.नि. 290 (अ) दिनांक 13-4-81
61. सा.का.नि. 444 दिनांक 2-5-81 (शुद्धिपत्र)
62. सा.का.नि. 503 (अ) दिनांक 1-9-81
63. सा.का.नि. 891 दिनांक 3-10-81 (शुद्धिपत्र)
64. सा.का.नि. 1056 दिनांक 5-12-81 (शुद्धिपत्र)
65. सा.का.नि. 80 दिनांक 23-1-86 (शुद्धिपत्र)
66. सा.का.नि. 44(अ) दिनांक 5-2-82
67. सा.का.नि. 57 (अ) दिनांक 11-2-82
68. सा.का.नि. 245 (अ) दिनांक 11-3-82
69. सा.का.नि. 307 (अ) दिनांक 3-4-82 (शुद्धिपत्र)
70. सा.का.नि. 386 दिनांक 17-4-82 (शुद्धिपत्र)
71. सा.का.नि. 422 (अ) दिनांक 24-5-82
72. सा.का.नि. 476 (अ) दिनांक 29-4-82
73. सा.का.नि. 504 (अ) दिनांक 20-7-82 (शुद्धिपत्र)
74. सा.का.नि. 753 (अ) दिनांक 11-12-82 (शुद्धिपत्र)
75. सा.का.नि. 109 (अ) दिनांक 26-2-83
76. सा.का.नि. 249 (अ) दिनांक 8-3-83
77. सा.का.नि. 269 (अ) दिनांक 16-3-83
78. सा.का.नि. 283 (अ) दिनांक 26-3-83
79. सा.का.नि. 329 (अ) दिनांक 14-4-83 (शुद्धिपत्र)
80. सा.का.नि. 539 (अ) दिनांक 1-7-83 (शुद्धिपत्र)
81. सा.का.नि. 634 दिनांक 9-8-83 (शुद्धिपत्र)
82. सा.का.नि. 743 दिनांक 8-10-83 (शुद्धिपत्र)
83. सा.का.नि. 790 (अ) दिनांक 10-10-83
84. सा.का.नि. 803 (अ) दिनांक 27-10-83
85. सा.का.नि. 816 (अ) दिनांक 3-11-83
86. सा.का.नि. 829 (अ) दिनांक 7-11-83
87. सा.का.नि. 848 (अ) दिनांक 19-11-83
88. सा.का.नि. 893 (अ) दिनांक 17-12-83 (शुद्धिपत्र)
89. सा.का.नि. 113 दिनांक 20-1-84 (शुद्धिपत्र)
90. सा.का.नि. 500 (अ) दिनांक 9-7-84
91. सा.का.नि. 612 (अ) दिनांक 18-8-84 (शुद्धिपत्र)
92. सा.का.नि. 744 (अ) दिनांक 27-10-84
93. सा.का.नि. 764 (अ) दिनांक 15-11-84
94. सा.का.नि. 3 (अ) दिनांक 1-1-85
95. सा.का.नि. 11 (अ) दिनांक 4-2-85
96. सा.का.नि. 142 (अ) 8-3-85 (शुद्धिपत्र)
97. सा.का.नि. 293 (अ) दिनांक 23-3-85
98. सा.का.नि. 368 (अ) दिनांक 18-4-85 (शुद्धिपत्र)
99. सा.का.नि. 385 (अ) दिनांक 29-4-85 (शुद्धिपत्र)
100. सा.का.नि. 543 (अ) दिनांक 2-7-85
101. सा.का.नि. 500 (अ) दिनांक 4-7-85
102. सा.का.नि. 587 (अ) दिनांक 17-7-85 (शुद्धिपत्र)
103. सा.का.नि. 605 (अ) दिनांक 24-7-85
104. सा.का.नि. 745 (अ) दिनांक 20-9-85
105. सा.का.नि. 746 (अ) 20-9-85
106. सा.का.नि. 748 (अ) दिनांक 23-9-85 (शुद्धिपत्र)
107. सा.का.नि. 892 (अ) दिनांक 6-12-85
108. सा.का.नि. 903 (अ) दिनांक 17-12-85 (शुद्धिपत्र)
109. सा.का.नि. 73 (अ) दिनांक 29-1-86
110. सा.का.नि. 507 (अ) दिनांक 19-3-86
111. सा.का.नि. 724 (अ) दिनांक 29-4-86 (शुद्धिपत्र)
112. सा.का.नि. 851 (अ) दिनांक 13-6-86
113. सा.का.नि. 852 (अ) दिनांक 13-6-86
114. सा.का.नि. 910 (अ) दिनांक 27-6-86
115. सा.का.नि. 939 (अ) दिनांक 9-7-86 (शुद्धिपत्र)
116. सा.का.नि. 1008 (अ) दिनांक 18-8-86 (शुद्धिपत्र)
117. सा.का.नि. 1149 (अ) दिनांक 15-10-86 (शुद्धिपत्र)
118. सा.का.नि. 1207 (अ) दिनांक 18-11-86 (शुद्धिपत्र)
119. सा.का.नि. 1228 (अ) दिनांक 27-11-86
120. सा.का.नि. 12 (अ) दिनांक 5-1-87
121. सा.का.नि. 28 (अ) दिनांक 13-1-87 (शुद्धिपत्र)
122. सा.का.नि. 270 (अ) दिनांक 2-3-87
123. सा.का.नि. 344 (अ) दिनांक 31-3-87 (शुद्धिपत्र)
124. सा.का.नि. 422 (अ) दिनांक 29-4-87 (शुद्धिपत्र)
125. सा.का.नि. 449 (अ) दिनांक 29-4-87 (शुद्धिपत्र)
126. सा.का.नि. 500 (अ) दिनांक 15-5-87 (शुद्धिपत्र)
127. सा.का.नि. 569 (अ) दिनांक 12-6-87 (शुद्धिपत्र)
128. सा.का.नि. 840 (अ) दिनांक 6-10-87
129. सा.का.नि. 900 (अ) दिनांक 10-11-87
130. सा.का.नि. 916 (अ) दिनांक 17-11-87
131. सा.का.नि. 917 (अ) दिनांक 17-11-87
132. सा.का.नि. 918 (अ) दिनांक 17-11-87 (शुद्धिपत्र)
133. सा.का.नि. 72 (अ) दिनांक 3-2-88 (शुद्धिपत्र)
134. सा.का.नि. 73 (अ) दिनांक 3-2-88 (शुद्धिपत्र)
135. सा.का.नि. 366 (अ) दिनांक 23-7-88 (शुद्धिपत्र)

136. सा.का.नि. 367 (अ) दिनांक 23-3-88
137. सा.का.नि. 437 (अ) दिनांक 8-4-88
138. सा.का.नि. 436 (अ) दिनांक 8-4-88
139. सा.का.नि. 454 (अ) दिनांक 8-4-88
140. सा.का.नि. 618 (अ) दिनांक 16-5-88
141. सा.का.नि. 855 (अ) दिनांक 12-8-88
142. सा.का.नि. 856 (अ) दिनांक 12-8-88
143. सा.का.नि. 924 (अ) दिनांक 13-9-88 (शुद्धिपत्र)
144. सा.का.नि. 1081 (अ) दिनांक 17-11-88
145. सा.का.नि. 1157 (अ) दिनांक 9-12-88
146. सा.का.नि. 42 (अ) दिनांक 20-1-89 (शुद्धिपत्र)

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1990

G.S.R. 4 (E):—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by sub-section (1) of section 23 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consid.ration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be adressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

## DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1989.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules, in rule 29, in clause (e) for the words "papad, sago or plain dal biji", the words and brackets, "papad (sago or plain), dal buji" shall be substituted.

3. In rule 42,

(a) in sub-rule (B),—

(1) in clause (i), in sub-clauses (a), (b) and (c), in the declarations thereunder, for the words "litres of milk", the words "litres of tonned milk", shall respectively be substituted.

(2) in clause (ii), for the portion beginning with the words "purpose of deciding" and ending with the words "milk solids other than milk fat", shall be omitted;

(b) in clause (iii), in the instructions of dilution, for th words 'fresh milk', the words 'tonned milk' shall be substituted

4. In rule 44-B of the said rules,

(i) in sub-rule (1), for the words, figures and letters "The ghee having less Reichart value and a different standard for butyro refractometer reading at 40°C", the words, figures and letter "The ghee having less Reichart value and a different standard for butyro refractometer reading at 40°C and butter oil having less Reichart value", shall be substituted;

(ii) for the word "ghee" wherever it occurs, the words "ghee or butter oil" shall be substituted.

5. In rule 55 of the said rules, in the table, after item 35 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

| | | |
|---|---|---|
| "36. Paneer or chhana | Sorbic acid and its Sodium, Potassium or Calcium Salts (calculated as Sorbic acid) | 2000 |
| | Or | |
| | Propionic acid and its Sodium or Potassium salts (calculated as Propionic acid) | 2000" |

6. In Appendix B of the said rules,—

(a) for item A.11.01.03, the following items shall be substituted, namely:—

"A.11.01.03—STERILIZATION—The term 'sterilization' when used in association with milk, mean heating milk continuously to a temperature of 115°C for 15 minutes or 145°C for 3 seconds or equivalent approved temperature time combination to ensure preservation at romm temperature for a period not less than 15 days from the date of manufacture. Sterilised milk shall be sold either in sealed container in which the milk was sterilised and in such case the turbidity test shall be negative, or in sterile containers packed under aseptic conditions".

(b) In item A.11.02.05, the following shall be inserted at the end, namely:—

"It may contain sorbic acid, propionic acid or their sodium potassium or calcium salts singly or in combination not exceeding 2000 mg/kg. The titrable acidity expressed as lactic acid shall not be more than 0.5 per cent. The standard plate count shall not exceed $5 \times 10^5$.

Note: When paneer is sold without any indication as to class, the standards for paneer shall apply."

(c) Item A.11.02.06 shall be omitted.

(d) after item A.11.02.07.01, the following item shall be inserted, namely:—

"A.11.02.07.02—PROCESSED CHEESE SPREAD means the product obtained by comminuting, mixing and melting in a homogeneous plastic mass with the aid of heat, one or more types of cheese with permitted emulsifiers, namely, citric acid, tartaric acid, sodium or potassium citrate, sodium salt or orthophosphoric acid polyphosphoric acid (as linear phosphate) as a level not more than 4.0 per cent (anhydrous) provided that anhydrous inorganic agents shall in no case exceed 3.0 per cent of the finished product. It may also contain permitted emulsifier and stabilisers at the level of not more than

0·8 per cent of the finished product. It may contain acidifying agents, namely, vinegar, actic acid, acetic acid, citric acid and phosphoric acid, milk solids, vegetable colouring matter such as annatto, carotene, spices and condiments, and permitted flavouring agents. It may contain sodium chloride and calcium chloride not exceeding 0-02 per cent by weight. Processed cheese spread may contain 0.1 per cent sorbic acid or its sodium and potassium or calcium salt (calculated as sorbic acid) or 0.1 per cent nisin either singly or in combination.

It shall not contain more than 60 per cent moisture and milk fat content shall not be less than 40 per cent of the dry matter.'

(e) in item A.11.02·14 and item A·11.02.18 in the penaltimate para for the words "packed in hermetically sealed container", the words "packed in nitrogen or mixture of nitrogen and carbon dioxide in hermetically sealed containers", shal respectively be substituted;

(f) in item A.11.02.19, the following shall be inserted at the end, namely:—

"It shall be free from rancidity".

(g) after item A.11·02.21, and table thereto, the following items shall be inserted, namely:—

"A.11.02.21.01—BUTTER OIL OR BUTTER FAT—are products exclusively obtained from butter or cream and resulting from the removal of practically the entire water and solid-not-fat content.

It may contain antioxidants not exceeding 0.02 per cent except gallate which shall not exceed 0·01 per cent. It sahll conform to the standards of quality of ghee laid down in item A.11.02.21 except BR Reading which shall be 40.0—43.0 at 40°C. In case of imported butter oil, RM value shall not be less than 24 per cent.

A.11.02.22—CHAKKA is a semi-solid product obtained from pasteurised or boiled milk of cow, buffalo, skimmed, recombined natural or otherwise, by a harmless lactic acid o bacterial culture and draining off the whey·

It shall be free from any sign of fat or water seepage or both and mouldiness. The material shall be white to pale yellow and shall conform to the following standards, namely:—

| | Chakka | Skimmed milk chakka |
|---|---|---|
| (i) Total solids, per cent by mass | Min. 30 | Min. 20 |
| (ii) Mik fat (on dry basis) per cent by mass | Min. 33 | Max· 5 |
| (iii) Milk protein (on dry basis) per cent by mass | Min. 37 | Min. 60 |
| (iv) Titrable acidity (as lactic acid) per cent by mass | Max. 2.5 | Max. 2.5 |
| (v) Total ash (on dry basis) per cent by mass | Max. 3.5 | Max· 5.0 |
| (vi) Coliform in 0.1 gram | Shall be absent | Shall be absent |
| (vii) Yeast and mould count per gram | Max. 20 | Max· 20 |

It shall be free from adulterants, preservatives and anymatter foreign to milk.

Chakka when sold without any indication shall conform to the standards of chakka.

A·11.02.22.01—SHRI KHAND means the product obtained from chakka or skimmed milk chakka to which milk fat is added. It shall not contain artficial colouring matter or any matter foreign to milk. It may contain sugar and spices· shall conform to the following standards, amely:—

| | |
|---|---|
| (i) Total solids per cent by mass | Not less than 58 |
| (ii) Milk fat (on dry basis) per cent by mass | Not less than 8·5 |
| (iii) Milk protein (on dry basis) per cent by mass | Not less than 10.5 |
| (iv) Titratable acidity (as lactic acid) per cent by mass | Not more than 1.4 |
| (v) Sugar (Sucrose) on dry basis per cent by mass | Not more than 725. |
| (vi) Total ash (on dry basis) per cent by mass | Not more than 0·9 |
| (vii) Coliform in 0.1 gram product | Shall be absent |
| (viii) Yeast and mould count per gram | Not more than 50". |

[No·P·15014/2/89—PH(F&N)]
MRS. VINEETA RAI, Jt. Secy.

Note: The prevention of Food Adulteration rules 1955 were first published in Part II Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2106 dated 12-9-55 and subsequently amended as follows by:—

1. S.R.O. 1282 dt. 26-5-56
2. S.R.O. 1687 dt. 28-7-56
3. S.R.O. 2213 dt. 28-9-56 (Extraordinary)
4. S.R.O. 2755 dt. 24-11-56

The further amendments were published in Part II, Section 3 Sub-section (i) of Gazette of India as follows by :—

5. G.S.R. 514 dt. 28-6-58
6. G.S.R. 1211 dt. 20-12-58
7. G.S.R. 425 dt. 4-4-60
8. G.S.R. 169 dt. 11-2-61
9. G.S.R. 1134 dt. 16-9-61
10. G.S.R. 1340 dt. 4-11-61
11. G.S.R. 1564 dt. 24-11-62
12. G.S.R. 1589 dt. 22-10-64
13. G.S.R. 1814 dt. 11-12-65
14. G.S.R. 74 dt. 8-1-66
15. G.S.R. 382 dt. 19-3-66
16. G.S.R. 1256 dt. 26-8-67

17. G.S.R. 1533 dt. 24-8-68
18. G.S.R. 2163 dt. 14-12-68 (Corrigendum)
19. G.S.R. 532 dt. 8-3-69
20. G.S.R. 1764 dt. 26-7-69 (Corrigendum)
21. G.S.R. 2068 dt. 30-8-89
22. G.S.R. 1808 dt. 24-10-70
23. G.S.R. 938 dt. 12-6-71
24. G.S.R. 992 dt. 3-7-71
25. G.S.R. 553 dt. 6-5-72
26. G.S.R. 436 (E) dt. 10-10-72
27. G.S.R. 133 dt. 10-2-73
28. G.S.R. 205 dt. 23-2-74
29. G.S.R. 850 dt. 12-7-75
30. G.S.R. 508 (E) dt. 27-9-75
31. G.S.R. 63 (E) dt. 5-2-76
32. G.S.R. 754 dt. 29-5-76
33. G.S.R. 755 dt. 29-5-76
34. G.S.R. 856 dt. 12-6-76
35. G.S.R. 1417 dt. 2-10-76
36. G.S.R. 4(E) dt. 4-1-77
37. G.S.R. 18(E) dt. 15-1-77
38. G.S.R. 651 (E dt. 20-10-77
39. G.S.R. 732 (E) dt. 5-12-77
40. G.S.R. 775 (E) dt. 27-12-77
41. G.S.R. 36 (E) dt. 21-1-78
42. G.S.R. 70 (E) dt. 8-2-78
43. G.S.R. 230 (E) dt. 20-4-78
44. G.S.R. 393 (E) dt. 4-8-78
45. G.S.R. 590 (E) dt. 23-12-78
46. G.S.R. 55 (E) dt. 31-1-79
47. S.O. 142(E) dt. 16-3-79 (Corrigendum)
48. G.S.R. 231 (E), dt. 6-4-79
49. G.S.R. 1043 dt. 11-8-79 (Corrigendum)
50. G.S.R. 1210 dt. 29-9-79 (Corrigendum)
51. G.S.R. 19 (E) dt. 28-1-80
52. G.S.R. 243 dt. 1-3-80
53. G.S.R. 244 dt. 1-3-80
54. G.S.R. 996 dt. 27-9-80 (Corrigendum)
55. G.S.R. 579 (E) dt. 13-10-80
56. G.S.R. 652 (E) dt. 14-11-80
57. G.S.R. 710 (E) dt. 22-12-80
58. G.S.R. 23 (E) dt. 16-1-81
59. G.S.R. 205 (E) dt. 25-3-81 (Corrigendum)
60. G.S.R. 290 (E) dt. 13-4-81
61. G.S.R. 444 dt. 2-5-81 (Corrigendum)
62. G.S.R. 503 (E) dt. 1-9-81
63. G.S.R. 891 dt. 3-10-81 (Corrigendum)
64. G.S.R. 1056 dt. 5-12-81 (Corrigendum)
65. G.S.R. 80 dt. 23-1-82 (Corrigendum)
66. G.S.R. 44 (E) dt. 5-2-82
67. G.S.R. 57 (E) dt. 11-2-82
68. G.S.R. 245(E) dt. 11-3-82
69. G.S.R. 307 (E) dt. 3-4-82 (Corrigendum)
70. G.S.R. 386 dt. 17-4-82 (Corrigendum)
71. G.S.R. 422 (E) dt. 24-5-82
72. G.S.R. 476 (E) dt. 29-6-82
73. G.S.R. 504 (E) dt. 20-7-82 (Corrigendum)
74. G.S.R. 753 (E) dt. 11-12-82 (Corrigendum)
75. G.S.R. 109 (E) dt. 26-2-83
76. G S.R. 249 (E) dt. 8-3-83
77. G.S.R. 268 (E) dt. 16-3-83
78. G.S.R. 283 (E) dt. 26-3-83
79. G.S.R. 329 (E) dt. 14-4-83 (Corrigendum)
80. G.S.R. 539 (E) dt. 1-7-83 (Corrigendum)
81. G.S.R. 634 dt. 9-8-83 (Corrigendum)
82. G.S.R. 743 dt. 8-10-83 (Corrigendum)
83. G.S.R. 790 (E) dt. 18-10-83
84. G.S.R. 803 (E) dt. 27-10-83
85. G.S.R. 816 (E) dt. 3-11-83
86. G.S.R. 829 (E) dt. 7-11-83
87. G.S.R. 848 (E) dt. 19-11-83
88. G.S.R. 893 (E) dt. 17-12-83 (Corrigendum)
89. G.S.R. 113 dt. 20-1-84 (Corrigendum)
90. G.S.R. 500 (E) dt. 9-7-84
91. G.S.R. 612 (E) dt. 18-8-84 (Corrigendum)
92. G.S.R. 744 (E) dt. 27-10-84
93. G.S.R. 764 (E) dt. 15-11-84
94. G.S.R. 3(E) dt. 1-1-85
95. G.S.R. 11 (E) dt. 4-1-85
96. G.S.R. 142 (E) dt. 8-3-85 (Corrigendum)
97. G.S.R. 293 (E) dt. 23-3-85
98. G.S.R. 368 (E) dt. 18-4-85 (Corrigendum)
99. G.S.R. 385 (E) dt. 29-4-85 (Corrigendum)
100. G.S.R. 543 (E) dt. 2-7-85
101. G.S.R. 550 (E) dt. 4-7-85
102. G.S.R. 587 (E) dt. 17-7-85 (Corrigendum)
103. G.S.R. 605 (E) dt. 24-7-85
104. G.S.R. 745 (E) dt. 20-9-85
105. G.S.R. 746(E) dt. 20-9-85
106. G.S.R. 748 (E) dt. 23-9-85 (Corrigendum)
107. G.S.R. 892 (E) dt. 6-12-85
108. G.S.R. 903 (E) dt. 17-12-85 (Corrigendum)

109. G.S.R. 73 (E) dt 29-1-86
110. G.S.R. 507 (E) dt. 19-3-86
111. G.S.R. 724 (E) dt. 29-4-86 (Corrigendum)
112. G.S.R. 851 (E) dt. 13-6-86
113. G.S.R. 852 (E) dt. 13-6-86
114. G.S.R. 910 (E) dt. 27-6-86
115. G.S.R. 939 (E) dt. 9-7-86 (Corrigendum)
116. G.S.R. 1008 (E) dt. 18-8-86 (Corrigendum)
117. G.S.R. 1149 (E) dt. 15-10-86 (Corrigendum)
118. G.S.R. 1207 (E) dt. 18-11-86 (Corrigendum)
119. G.S.R. 1228 (E) dt. 27-11-86
120. G.S.R. 12(E) dt. 5-1-87
121. G.S.R. 28 (E) dt. 13-1-87 (Corrigendum)
122. G.S.R. 270 (E) dt. 2-3-87
123. G.S.R. 344 (E) dt. 31-3-87 (Corrigendum)
124. G.S.R. 422 (E) dt. 29-4-87 (Corrigendum)
125. G.S.R. 449 (E) dt. 29-4-87 (Corrigendum)
126. G.S.R. 500 (E) dt. 15-5-87 (Corrigendum)
127. G.S.R. 569 (E) dt. 12-6-87 (Corrigendum)
128. G.S.R. 840 (E) dt. 6-10-87
129. G.S.R. 900 (E) dt. 10-11-87
130. G.S.R. 916 (E) dt. 17-11-87
131. G.S.R. 917 (E) dt. 17-11-87
132. G.S.R. 918 (E)dt. 17-11-87 (Corrigendum)
133. G.S.R. 72 (E) dt. 3-2-88 (Corrigendum)
134. G.S.R. 73 (E) dt. 3-2-88 (Corrigendum)
135. G.S.R. 366 (E) dt. 23-3-88 (Corrigendum)
136. G.S.R. 367 (E) dt. 23-3-88
137. G.S.R. 437 (E) dt. 8-4-88
138. G.S.R. 436 (E) 8-4-88
139. G.S.R. 454 (E) dt. 8-4-88
140. G.S.R. 618 (E) dt. 16-5-88
141. G.S.R. 855 (E) dt. 12-8-88
142. G.S.R. 856 (E) dt. 12-8--88
143. G.S.R. 924 (E) dt. 13-9-88 (Corrigendum)
144. G.S.R. 1081 (E) dt. 17-11-88
145. G.S.R. 1157 (E) dt. 9-12-88
146. G.S.R. 42 (5) dt. 20-1-89 (Corrigendum)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990